# न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –16 / 2020

**वादी**

1. मसरा पुत्र दाना जाति मेगवशी निवासी वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर

**प्रतिवादीगण**

1. ओखाराम पुत्र तेजा
2. काली पुत्री तेजा
3. जवा पुत्र नरसी
4. मूंगाराम पुत्र तेजा
5. मथरी पुत्र तेजा
6. मूला पुत्र जेठा
7. रामा पुत्र राजा
8. वरजू पुत्री तेजा
9. शान्ता पुत्री तेजा
10. हमीरा पुत्र राजा जातियान मेगवंशी निवासीयान वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर
11. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा करडा
12. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

| अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 |
|---|

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री जानू मेघवाल।
3. प्रतिवादी संख्या 12 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 10.08.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा वणधर तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 593 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नबंर 597 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा खसरा नबंर 598 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नबंर 599 रकबा 0.63 हैक्टर किस्म जाव प्रथम चाही प्रथम, खसरा नबंर 600 रकबा 0.63 हैक्टर किस्म जाव प्रथम चाही प्रथम खसरा नबंर 601 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म जाव प्रथम चाही प्रथम जुमले रकबा 2.79 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ओखाराम पुत्र तेजा हिस्सा 1/48, [illegible] पुत्री तेजा हिस्सा 1/48, जवा पुत्र नरसी हिस्सा 1/8, मूगाराम पुत्र तेजा हिस्सा [illegible], मथरी पत्नि तेजा हिस्सा 1/48, मुला पुत्र जेठा हिस्सा 1/4, [illegible], रामा [illegible] हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 16:54:01 IST
Reason: SelfAttested

1/8, वरजु पुत्री तेजा हिस्सा 1/48, शान्ता पुत्री तेजा हिस्सा 1/48, हमीरा पुत्र राजा हिस्सा 1/8 जाति मेगवंशी साकिन देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा है। उपरोक्त आराजी जिसे आगे विवादीत आराजी से संबोधित किया जावेगा, जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 मौके पर काश्त की सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादीत आराजी का मौके पर बंटवाडा नहीं होने से उक्त आराजी में काश्त को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच विवाद होता रहता है। तथा उक्त आराजी को विकसित करने में भी सभी सहखातेदारों को असुविधा हो रही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को वादग्रस्त आराजी का कई बार विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने में आना कानी करते रहे। दिनांक 30.06.2020 को वादी अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था, तब प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने कहा कि हम तुम्हें लाठी के बल पर बैदखल कर देगें तब वादी ने उन्हे वादी के हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो वे नाराज हो गये तथा वादी के हिस्से में वादी को काश्त नहीं करने देने की उन्होनें ऐलानिया धमकी दी। इसलिये वादी के पास अन्य कोई उपचार नहीं होने से तथा वादी वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवाकर उक्त आराजी में से अपने हिस्से माफिक अलग बंट प्राप्त करने का व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के अवैध व गैर कानुनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेघाज्ञा का पेश है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से इकबालिया जवाब दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने उक्त विवादीत आराजी का बंटवाडा करवाने में कभी भी आनाकानी नहीं की है। तथा न ही किसी भी प्रकार की एलानिया धमकी दी है। हम प्रतिवादीगण उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवाने के लिये तैयार है। व प्रतिवादी संख्या 2,5,8,9 का हकतर्कनामा दस्तावेज पंजीयन होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक इकबालिया जवाब पेश है। प्रतिवादी संख्या 11 बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 10 भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

3. दिनांक 15.10.2020 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा वणधर के खसरा नबंर 593 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नबंर 597 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 598 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नबंर 599 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नबंर 600 रकबा 0.63 हैक्टर खसरा नबंर 601 रकबा 0.80 हैक्टर, जुमले रकबा 2.79 हैक्टर के मीटस एण्ड बाउण्डस के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को दिये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/ 2020/632 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा के अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व कोर्ट/ 2021/311 दिनांक 23.0[illegible]2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:01 IST
Reason: SelfAttested

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं वादी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र.स | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मसरा पुत्र दाना कौम मेगवंशी साकिन वणधर सा. खातेदार | 601 | 0.80 | 0.6625 | चा. प्र. | भूरा | नियमानुसार |
| 2. | औखा पुत्र तेजा 1/36, मूंगा पुत्र तेजा 1/36, शांता पुत्री तेजा 1/36, काली पुत्री तेजा 1/36, वरजू पुत्री तेजा 1/36, मथरी पत्नि तेजा 1/36, जवा पुत्र नरसी 1/6, मूला पुत्र जेठा 1/3, हमीरा पुत्र राजा 1/6, रामा पुत्र राजा 1/6 कौम मेगवंशी सा. वणधर खातेदार | 593 | 0.61 | 0.59 | चा. प्र. | खाली | |
| | | 599 | 0.63 | 0.63 | चा. प्र जा.प्र. | | |
| | | 600 | 0.63 | 0.63 | चा. प्र जा.प्र. | | |
| | | 601 | 0.80 | 0.0775 | चा. प्र | | |
| | | | | 0.0600 | जा.प्र. | | |
| | **कूल** | **4** | — | **1.9875** | — | | |
| 3. | शामलाती बदस्तुर जमाबंदी वादी व प्रतिवादीगण | 593 | 0.61 | 0.02 | चा.प्र. | हरा | |
| | | 598 | 0.11 | 0.11 | गै.मू. सडा | | |
| | | 597 | 0.01 | 0.01 | गै.मू. बेरा | | |
| | कुल | 3 | — | 0.14 | | | |

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:01 IST
Reason: SelfAttested

एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:01 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

**(civil procedure code, Appendix “D”-1)**

## अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. मसरा पुत्र दाना जाति मेगवशी निवासी वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर | बनाम | 1. ओखाराम पुत्र तेजा<br>2. काली पुत्री तेजा<br>3. जवा पुत्र नरसी<br>4. मूंगाराम पुत्र तेजा<br>5. मथरी पुत्र तेजा<br>6. मूला पुत्र जेठा<br>7. रामा पुत्र राजा<br>8. वरजू पुत्री तेजा<br>9. शान्ता पुत्री तेजा<br>10. हमीरा पुत्र राजा जातियान मेगवंशी निवासीयान वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर<br>11. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा करडा<br>12. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा |

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 16/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री अमृत कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 12 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 10 की ओर से वकील श्री जानू मेघवाल उपस्थित । मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र.स | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मसरा पुत्र दाना कौम मेगवंशी साकिन वणधर सा. खातेदार | 601 | 0.80 | 0.6625 | चा. प्र. | भूरा | नियमानुसार |
| 2. | औखा पुत्र तेजा 1/36, मूंगा पुत्र तेजा 1/36, शांता पुत्री तेजा 1/36, काली पुत्री तेजा 1/36, वरजू पुत्री तेजा | 593 | 0.61 | 0.59 | चा. प्र. | खाली | |
| | | 599 | [illegible] | 0.63 | चा. प्र<br>[illegible] | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:01 IST
Reason: SelfAttested

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/36, मथरी पत्नि तेजा 1/36, जवा पुत्र नरसी 1/6, मूला पुत्र जेठा 1/3, हमीरा पुत्र राजा 1/6, रामा पुत्र राजा 1/6 कौम मेगवंशी सा. वणधर खातेदार | 600 | 0.63 | 0.63 | चा. प्र जा.प्र. | | नियमानुसार |
| | | 601 | 0.80 | 0.0775 | चा. प्र | | |
| | | | | 0.0600 | जा.प्र. | | |
| | कूल | 4 | — | 1.9875 | — | | |
| 3. | शामलाती बदस्तुर जमाबंदी वादी व प्रतिवादीगण | 593 | 0.61 | 0.02 | चा.प्र. | हरा | |
| | | 598 | 0.11 | 0.11 | गै.मू. सडा | | |
| | | 597 | 0.01 | 0.01 | गै.मू. बेरा | | |
| | कुल | 3 | — | 0.14 | | | |

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10.08.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | जवाबदावा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीष्नर | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 3 | 00 | मौजाना | 1 | 00 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:01 IST
Reason: SelfAttested